और तकनीकी खामियां थी, उसके कारण नहीं हो पाया। इसी प्रकार बिलासपुर का मामला है। नये जोन के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उसने क्योंकि जबलपुर के नाम का प्रस्ताव किया और उस पर निर्णय ले लिया गया है।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र : और हाजीपुर?

श्री राम विलास पासवान : हाजीपुर का सवाल इस क्वेश्चन से नहीं उठता। लेकिन हम इसके लिए अलग से बातचीत कर रहे हैं।

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir, my question relates to the Hubli-Ankola Railway Project. I express my thanks and happiness to the Railway Minister. Last week he had convened a meeting at Madras of all the M.Ps. from Tamil Nadu. He heard our grievances very patiently, including the grievances with regard to new projects that have to be given importance. In Madras, I had mentioned to the hon. Railway Minister that there is a broad-gauge railway line. Tamil Nadu recently declared Namakkal town as a Revenue District. Namakkal, Karur and Rashipuram are all Revenue Divisions. The textile industry is emerging in that area. We also have a white revolution there with regard to egg-production and that is why it is called the egg city also.

MR. CHAIRMAN: Your question seems to be outside the scope of the present Question.

SHRI V. P. DURAISAMY: Sir, even then I would like to request the Minister...

MR. CHAIRMAN: Then, at least be brief.

SHRI V. P. DURAISAMY: Sir the feasibility report about the Salem-Rashipuram-Namakkal-Karur railway line has already been submitted to the Railway Board. The project is technically and economically viable and we expect the Minister....

MR. CHAIRMAN: You better raise this in the debate on the Railway Budget.

SHRI V.P. DURAISAMY: It is not mentioned in the Budget, Sir, I want to know whether the Railway Minister will give priority to it so as to cover the people of this mofussil area.

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, आपने ठीक ही कहा। जो प्वाइंट माननीय सदस्य ने रेज़ किया है, वह मैंने नोट कर लिया है। जब रेलवे बजट पर भाषण होगा। उसके रिप्लाई में इसके संबंध में हम कुछ कहेंगे।

MR. CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, have you a question on this subject?

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Not on Pondicherry?

SHIR V. NARAYANASAMY: No, Sir, Mr. Chairman, Sir, for several years various surveys have been carried out in different railway zones for the purpose of introducing railway services with a view to developing those regions, especially in Southern India. The projects seem to be viable. But after those surveys, the Railway Minister has not taken any initiative. Whether it is Andhra Pradesh, Karnataka or Tamil Nadu, they have not taken any initiative for starting work relating to laying of railway lines so that the area could develop. I would like to know from the hon. Minister as to how many surveys have been conducted in Southern India and how many projects have been completed so far. I would request him to give statistics so that the Parliament can know as to how Southern India has been ignored.

MR. CHAIRMAN: Raise it during the debate.

SHRI V. NARAYANASAMY: This relates to the question.

MR. CHAIRMAN: No. It does not relate to the question. Please. *(Interruptions)* Please. It is widely irrelevant, if I may say so.

बुक कराए गए सामान की वैगनों से चोरी

***144. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** †

श्री ईश दत्त यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष कोयले और बुक कराए गए सामान की वैगनों से चोरी होने के मामलों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में कितने लोगों को पकड़ा गया तथा उनसे कितने मूल्य का सामान जब्त किया गया; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय रेलों पर कोयले तथा बुक कराए गए सामान की वैगनों से चोरी के मामलों का ब्यौरा:—

†सभा में यह प्रश्न श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला द्वारा पूछा गया।

कोयले की चोरी

रेलवे	मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य चुराई गई (रुपयों में)	संपत्ति का मूल्य वसूल की गई (रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
मध्य रेल	91	23990	23990	136
पूर्व रेल	326	856501	908148*	343
उत्तर रेल	59	492008	2095	18
पूर्वोत्तर रेल	35	21435	21435	54
पूर्वोत्तर सीमा रेल	7	1260	1260	11
दक्षिण रेल	-	-	-	-
दक्षिण मध्य रेल	2	8700	8700	17
दक्षिण पूर्व रेल	54	295191	294591	130
पश्चिम रेल	2	440	440	6
जोड़	576	1699525	1260659	715

*कोयले की चुराई गई मात्रा से कोयले की वसूल की गई मात्रा में वृद्धि का कारण यह है कि पूर्व रेलवे पर ऐसे कोयले की भी वसूली हुई है जिसके चुराई जाने या असम्बद्ध रहने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी।

बुक किए गए परेषणों की चोरी (कोयले को छोड़कर)

रेलवे	मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य चुराई गई (रुपयों में)	संपत्ति का मूल्य वसूल की गई (रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
मध्य रेल	394	3493812	1027534	89
पूर्व रेल	2383	10821990	878559	95
उत्तर रेल	887	4977524	2126688	333
पूर्वोत्तर रेल	558	2269136	365111	27
पूर्वोत्तर सीमा रेल	1117	5670115	143301	52
दक्षिण रेल	611	2773436	396653	90
दक्षिण मध्य रेल	205	560215	44228	38
दक्षिण पूर्व रेल	846	4290041	45526	152
पश्चिम रेल	660	3049025	424555	173
जोड़	7661	39905294	5452155	1049

(ग) इस तरह की चोरियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जाते हैं:-

1. कोयला और अन्य कीमती परेषण ले जाने वाली गाड़ियों में भेद्य खंडों पर यथासंभव मार्गरक्षियों की व्यवस्था।
2. यार्डों तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खंडों में गहन गश्त की व्यवस्था।
3. परेषण ले जाने वाले मालडिब्बों/सीलों की हालत का जायजा लेने के लिए, अन्तर्बदल स्थलों पर संयुक्त जांच।

4. जहां तक संभव हो, भेद्य खंडों पर रे.सु.ब. की सशस्त्र टुकड़ियां तैनात की जाती हैं।
5. अपराधियों का पता लगाने के उद्देश्य से, अपराध संबंधी आसूचना एकत्र करने के लिए सादे कपड़ों में रे.सु.ब. के कर्मचारी भी तैनात किए जाते हैं।
6. अपराध संबंधी आसूचनाओं के आधार पर, अपराधियों/चुराई गई संपत्ति के प्राप्तकर्त्ताओं की धर-पकड़ के लिए उनके अड्डों पर छापे मारे जाते हैं तथा तलाशियां ली जाती हैं।
7. भेद्य यार्डों और क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए, कुत्ता दस्ते तैनात किए जाते हैं।
8. अपराधियों तथा चुराई गई संपत्ति के प्राप्तकर्त्ताओं को पकड़ने के लिए रे.सु.ब., रा.रे.पु. तथा स्थानीय पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो वेगनों में चोरी होती है वह रेलवे कर्मचारियों की मिलीभगत से चोरी होती है। मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने जवाब दिया है 1995-96 में 1764 आदमियों को गिरफ्तार किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें कितने रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, पिछले 3 सालों में जो आर.पी.एफ. के लोगों की गिरफ्तारी हुई है वह है 14। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं। यदि आप चाहें तो मैं उनका जवाब दे सकता हूं। 1995-96 में 130 हैं, जो रेलवे के अधिकारी हैं, टोटल 130 हैं, अरेस्टेड 130, प्रासीक्यूटेड 122, चार्जशीटेड 2, कन्विक्टेड कुछ नहीं और अंडर ट्रायल 128। यह है आम जनता का सामान और जो चोरी हुआ है और उसमें जो रेलवे के कर्मचारी थे। दूसरा अभी यह है मेरे पास जिसमें रेलवे का सामान चोरी हुआ और उसमें रेलवे के कर्मचारी संलग्न थे। उसमें 1995-96 में उनकी संख्या 454 है, 1994-95 में 539 थी और 1993-94 में 577 थी।

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1995-96 में 4 करोड़ रुपए की कीमत की वस्तुओं की चोरी हुई है। इसके सामने 54 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। तो उसमें क्या कार्यवाही करेंगे जिसमें दूसरे लोगों ने या दूसरे कस्टमर्स ने रेलवे में बुकिंग करायी थी? उस और पैसे का क्या होगा?

श्री राम विलास पासवान : इन केसेज में जो पुलिस का मामला है वह तो अपनी कार्यवाही कर रही है या करती है, जो विभाग का मामला है उसमें विभागीय कार्यवाही की जाती है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं स्वयं इस बात से बहुत ही चिंतित हूं कि रेलवे की प्रापर्टी की रक्षा के लिए जिस कर्मचारी को लगाया जाता है उस कर्मचारी का उसमें हाथ हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। इसके लिए हम प्रत्येक में अभी तो नहीं लेकिन बहुत ही जल्दी जितने भी बड़े बड़े जंक्शन्स हैं वहां क्लोज सरकिट टी.वी. लगाने जा रहे हैं जिससे कि यह पता चल सके कि कहां माल सुरक्षित है और कहां माल सुरक्षित नहीं है और किन कर्मचारियों का उसमें हाथ है, और जो भी इसमें पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, it is now an established fact that coal mafias and coal theft mafias operate in certain regions. The hon. Minister in his extensive reply has given the details of preventive measures for checking such thefts. I would like to know whether the nexus between thefts and the Railway employees has been established, how many cases are outstanding and for how many years these are being investigated. What action can be taken against these mafias to prevent this nexus?

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, इसमें तो मैंने कहा है कि दो मत नहीं हैं कि कुछ केसेज में, कुछ मामलों में मिलीभगत के कारण ये चीजें होती रही है और जो माननीय सदस्या ने पूरे आंकड़े मांगे हैं मैं माननीय सदस्या को भी और सदन को भी पूरे के पूरे आंकड़े दूंगा।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: How many cases are outstanding and for how many years?

श्री राम विलास पासवान : मैंने तो अभी बतलाया है। उसके पहले अभी जो मैंने 3 साल के आंकड़े दिए थे उसमें मैंने यह बतलाया है कि कितने केसेज हैं और कितने केसेज में सरकारी कर्मचारी रेलवे के हैं और कितने में आर.पी.एफ. के जवान उसमें संलग्न हैं। कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, कितनों को गिरफ्तार किया गया है और कितनों के खिलाफ अंडर ट्रायल मुकदमें

चल रहे है। यह मैंने जो 3 साल के आंकड़े दिए हैं उनकी विस्तृत रिपोर्ट मेरे पास है। मैं इसको सदन के पटल पर भी रख दूंगा।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : सर, जहां तक रेलवे में चोरी का मामला है यह किसी आंकड़े की भी अब जरूरत नहीं रह गई है, मुल्क की जनता देश के व्यापारी, अधिकारी और सियासी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सर,कोयले की चोरी एक आर्गेनाइज्ड क्राइम है और कोयला का माफिया पूरे मुल्क में सरगर्म है। इसमें रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों, कोयला विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, कोयला खान के मालिकों और कोयला की सरकारी कंपनियों के बड़े अधिकारियों, ट्रांसपोर्ट करने वाले सब के सब लोगों की यह मिली-भगत है। इस मिली-भगत से यह सारा चोरी का कारोबार चल रहा है। यह घोटाला आजादी के पहले से बराबर चले जा रहा है। क्या मंत्री जी इन सारे विभाग से मुत्तलिक अधिकारियों और एम.पीज का एक जांच आयोग बैठाना चाहेंगे जो इनके सारे गलत कार्मों की जांच करे और उसमें सुधार का इनको सुझाव दे? साथ ही साथ, मेरे सवाल का भाग ''ख'' यह है कि क्या सरकार अपने दायित्व को समझते हुए इन तमाम गलत कामों का पर्दाफाश करने के लिए एक व्हाइट पेपर जारी करेगी?

†مولانا عبیداللہ خاں اعظمی : سر- جہاں تک ریلوے میں چوری کا معاملہ ہے- یہ کسی آنکڑے کی بھی اب ضرورت نہیں رہ گئی ہے- ملک کی جنتا دیش کے بیوپاری- ادھیکاری اور سیاسی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں- سر- کوئلے کی چوری ایک آرگنائزڈ کرائم ہے اور کوئلے کا مافیہ پورے ملک میں سرگرم ہے- اسمیں ریلوے کے ادھیکاریوں- کرمچاریوں- کوئلہ وبھاگ کے ادھیکاریوں- ٹرانسپورٹ کرنے والے سب کے سب لوگوں کی یہ ملی بھگت ہے اس ملی بھگت سے یہ سارا چوری کا کاروبار چل رہا ہے- یہ گھوٹالہ آزادی کے پہلے سے چلا آرہا ہے- کیا منتری جی ان سارے وبھاگ سے متعلق ادھیکاریوں اور ایم- پیز- کا ایک جانچ آیوگ بٹھانا چاہیںگے جو انکے سارے غلط کاموں کی جانچ کرے اور اسمیں سدھار کا انکو سجھاؤ دے- ساتھ ہی ساتھ میرے سوال کا بھاگ "کھ" یہ ہے کہ کیا سرکار اپنے "ڈائیتو" کو سمجھتے ہوئے ان سارے غلط کاموں کا پردہ فاش کرنے کیلئے ایک وھائٹ پیپر جاری کرے گی-]

श्री राम विलास पासवान: चेयरमैन सर, जब हम रेलवे बजट पेश करते हैं या जब इस तरह का करते हैं तो इसमें सारे के सारे प्रश्नों के जवाब तो दिए ही रहते हैं कि कौन इसमें हैं। जहां तक माननीय सदस्यों का सवाल है मैं समझता हूं कि जितनी भी कमेटियां होती हैं उसमें माननीय सदस्य अपने जोनल स्तर पर और उसके डिविज़नल स्तर पर तो रहते ही हैं। इसके अलावा भी मैं सोच रहा हूं कि जो शिकायतें आ रही हैं उनको कैसे हल किया जाए। कमेटी बनाने से यदि समस्या का हल हो जाए तो मुझे कमेटी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से जरूर इस संबंध में बात-चीत करूंगा कि यह जो रेलवे में एफीशिएंसी लाने का मामला है या चोरी रोकने का मामला है, उसमें कैसे सुधार हो। हम निश्चित रूप से जब रेलवे बजट चलेगा तो हम माननीय सदस्यों से भी आग्रह करेंगे कि उसमें सुझाव दें और जो भी सुझाव आयेंगे सरकार को उसके मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: सर, सिर्फ सुझाव देने से काम नहीं चलेगा अगर कमेटी बन जाए सिर्फ इसी काम के लिए, इसलिए कि यह सब से बड़ा काम है, अलग-अलग जोनल कमेटियों के जरिए यह काम नहीं हो पा रहा है, एक पूरी कमेटी की जरूरत है और पूरे देश में जिस तरह से कमेटी बनती है उस तरह से उसके लिए बिल्कुल अलग से कमेटी बनने की जरूरत है.... (व्यवधान)....

†مولانا عبیداللہ خاں اعظمی : سر- صرف سجھاؤ دینے سے کام نہیں چلے گا- اگر

†Transliteration in Arabic Script

کمیٹی بن جائے صرف اسی کام کیلئے۔ اسلئے کہ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ الگ الگ زونل کمیٹیوں کے ذریعہ یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک پوری کمیٹی کی ضرورت ہے اور پورے دیش میں کمیٹی بنتی ہے اس طرح سے اسکے لئے بالکل الگ سے کمیٹی بننے کی ضرورت ہے ... "مداخلت" ...]

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: The measures have failed. (*Interruptions*) They are only on paper. (*Interruptions*) They should be implemented.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: हम यह पूछना चाहेंगे कि क्या मंत्री जी कमेटी की जरूरत को महसूस नहीं कर रहे हैं? अगर महसूस कर रहे हैं तो उनको कमेटी बनानी चाहिए?

[† مولانا عبیداللہ خان اعظمی: ہم یہ پوچھنا چاہینگے کہ کیا منتری جی کمیٹی کی ضرورت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں اگر محسوس کر رہے ہیں تو انکو کمیٹی بنانی چاہئے۔]

श्री राम विलास पासवान: सर, मैंने नकारा नहीं हैं मैंने कहा कि कमेटी बनने से यदि इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है, निदान तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन यदि काबू भी पाया जा सकता है तो सरकार को वह बनाने में कोई आपत्ति नहीं है और इस पर हम जरूर गौर करेंगे।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: सरकार कब तक बनायेगी? सर, सरकार कब तक बनाने जा रही है?

[† مولانا عبیداللہ خان اعظمی: سرکار کب تک بنائے گی۔ سر۔ سرکار کب تک بنانے جا رہی ہے۔]

SHRI O. RAJAGOPAL: Sir, apart from the question of theft of coal and booked bogies, has it been brought to the notice of the hon. Minister the type of robbery that has been taking place in the trains, especially in the tains from Delhi to Kerala and also from Bombay to Kerala? There have been a number of incidents where armed people get into the the compartments and take away valuable things including ornaments from passengers. I would like to know from the hon. Minister whether these incidents have come to the notice of the hon. Minister; if so, what steps the Government would like to take to effectively stop this.

श्री राम विलास पासवान : चेयरमैन सर, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, न आंकड़ों में जाने की बात है। इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे पास में आर.पी.एफ. है, रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स है। लेकिन माननीय सदस्य को यह मालूम है कि जो जी.आर.पी. है, जनरली लोग समझते हैं कि जी.आर.पी. रेलवे का है लेकिन वह रेलवे का होता नहीं है, स्टेट का होता है, संबंधित स्टेट का होता हैं जी.आर.पी. का जो गलत काम होता है उसके लिए रेलवे बदनाम होती है। लेकिन जी.आर.पी. का जो आफिसर या कर्मचारी है उसकी सी.आर. भी रेलवे का अधिकारी नहीं लिखता है। जो हमारा फैडरल स्ट्रक्चर है उसमें स्टेट और सैंटर का जो रिलेशन है और जो लॉ एंड आर्डर का मामला है वह स्टेट का सब्जैक्ट होता है। जहां तक हमारे अंदर की बात है, रेलवे के अंदर की बात है, उसकी तो मैं पूरी की पूरी गारंटी लेता हूं और जो भी कार्यवाही करने की होगी वह मैं करूंगा। जहां तक लॉ एंड आर्डर का मामला है जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है निश्चित रूप से हम राज्य सरकार के साथ में बैठ करके और यह तो रोबरी और कत्ल का मामला है, उसकी समस्या के संबंध में कैसे उसका निराकरण किया जाए, पहले भी बात-चीत हुई होगी, लेकिन कैसे उसका इफैक्टिवली हल हो हम लोग उसको करेंगे।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेल में बुक किए गए माल की चोरी का मसला बहुत दिनों से चला आ रहा है। इस के पीछे कई गैंग पकड़े गए हैं। इस में चोरी दो तरह की होती है-एक तो वैगन ब्रेकिंग कर के माल उतार लेते हैं। दूसरे पैरिशेबल गुड्स जो चढ़ाया जाता है और वह समय पर नहीं पहुंचे तो उस का डैमरेज पेमेंट किया जाता है। इस तरह से भी पीछे की तरफ से चोरी की जाती है जिस में रेलवे का काफी पैसा निकलता है। यह बराबर लोकल ऑफिसर की मिली-भगत से होता है। सभापति महोदय, पहले हमारे रेल ट्रैक पर कास्ट आयरन की "फिश

†Transliteration in Arabic Script

प्लेट्स" हुआ करती थीं। यह आम तौर पर चोरी होती थीं और यह देखा गया कि किसी बड़े जंक्शन या रेल लाइन के किनारे किसी-न-किसी ने रोलिंग मिल या कास्ट आयरन की फिश प्लेट्स को गलाने की भट्टी लगायी होती थी। उस से उन का कारोबार चलता था। अब उस को वह सीमेंट के स्लीपर पर ले आए। वह चोरी पकड़ी गयीं। उस में काफी सुधार लाया गया और उस को उस तरफ मोड़ा गया है। उस में कास्ट को भी देखा गया है और सब कुछ देखकर यह सब किया गया। किंतु अभी तक रेल जो कि एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारे देश की है जोकि कन्या कुमारी से लेकर काश्मीर तक और कच्छ से काहिमा तक चलती है, इस इंडस्ट्री में इस तरह की चोरी या पिलफ्रेज को रोकने कि लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। क्या इस के लिए रेल मंत्री महोदय यह जो बुकिंग पर चोरी होती है और बुक किए हुए माल की जो वैगन ब्रेकिंग होती है, इस के लिए वह कोई हाई-पावर कमेटी बनाकर उस पर टाइम-बाउंड प्रोग्राम में विचार करने कि लिए तैयार होंगे?

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, अभी एक माननीय सदस्य का सुझाव आया कि मेंबर्स की संसद की कमेटी बनाई जाय और आप का सुझाव आया कि हायी-पावर कमेटी बनायी जाय। इसलिए मैंने कहा कि हम एक नयी चीज एक्सपैरीमेंट करने जा रहे हैं। उस में जितने भी बड़े-बड़े जंक्शंस हैं, उन जंक्शंस पर हम टी.वी. के क्लोज सर्किट लगाने जा रहे हैं जिससे कि पता चले कि कहां क्या स्थिति है? हमारे रेल मंत्रालय में कंप्यूटर के माध्यम से "क्रिस" प्रोग्राम चला था, उसमें अभी जो हमारी नॉर्दर्न रेलवे है, हम एम.आर. के रूप में या रेल भवन में बैठकर और बटन दबाएं तो हम को पता चल जाएगा कि कौन लाइन पर कितनी गाड़ी गाजियाबाद में लगी हुई है, किस की क्या स्थिति है, कितने घंटे लेट है। लेकिन यह तो नेटवर्क है, वह अभी लोकल है। उस को यदि पूरे देश के नेटवर्क के साथ जोड़ने का काम किया जाय तो एक जगह बैठकर उस की मॉनीटरिंग की जा सकती है। तो आज के युग में मॉडर्न टैक्नोलोजी इतनी डवलप हुई है।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : मंत्री जी, वह सिर्फ कंप्यूटरीकरण लौकेशन जारी करने के लिए किया गया है कि कहां पर ट्रेन है। आप यह नहीं देख सकते कि वैगन ब्रेकिंग हुई है कि नहीं।

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, मैं ने कहा कि आज की जो मॉडर्न टैक्निक है उस में कोई चीज असंभव नहीं है, लेकिन एक बात है कि "लैक ऑफ विल" जो होती है, तो पहले नीयत साफ होनी चाहिए। मैं आप को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप ने हायी-पावर कमेटी की बात कही है, आपने माननीय सदस्यों की बात कही है, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का दिमाग इस मामले में खुला हुआ है। इसे रोकने कि लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, हम बजट के दौरान जब उस पर डिस्कसंस होंगे, सारे पॉइंट्स आएंगे। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह करूंगा कि वह इस मुद्दे को भी रखेंगे और इस मामले में जो भी आम राय होगी, उस से सरकार वचनबद्ध होगी और उसे करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मोहम्मद सलीम: सभापति महोदय, हायी-पावर कमेटी और सदस्यों की कमेटी की बात की जा रही है, लेकिन बहुत सी कमेटी बनीं पर चोरी नहीं रुक सकी और मैं समझता हूं कि आप ने इसे रोकने के लिए प्रबंध का जो बंदोबस्त किया है कि किस तरह से रोकथाम की जाएगी, उस में 7वें नंबर पर दिया है- "Dog squads are deployed for patrolling vulnerable yards and areas." इंसान पर से जब एतबार खोता जा रहा है तो हम जानवरों पर ज्यादा एतबार करने लगे हैं। तो आप डाग स्क्वाड को और स्ट्रेंग्थन करेंगे क्योंकि उस से एकदम प्रैक्टीकल लेवल पर अच्छी रोकथाम होगी।

†شری محمد سلیم: سبھاپتی مہودے - ہائی پاور کمیٹی اور سدسیوں کی کمیٹی کی بات کی جا رہی ہے لیکن بہت سی کمیٹی بنیں پر چوری نہیں روک سکی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسے روکنے کے لیے پربندھ کا جو بندوبست کیا ہے کہ کس طرح سے روک تھام کی جائیگی - اس میں 7 ویں نمبر پر دیا ہے -

"Dog squads are deployed for patrolling vulnerable yards and areas."

انسان سے جو اعتبار کھوتا جا رہا ہے تو ہم جانوروں پر زیادہ اعتبار کرنے لگے ہیں - تو آپ ڈاگ اسکوائڈ کو اور اسٹرینگتھن

†Transliteration in Arabic Script

کرینگے کیونکہ اس سے ایک دم پریکٹیکل لیول پر اچھی روک تھام ہوگی †

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: लखनऊ में रेल खड़ी रही डाग स्क्वाड के लिए।

श्री मोहम्मद सलीम : वह वी.आयी.पी. के लिए खड़ी रही।

†شری محمد سلیم: وہ وی-آئی-پی- کیلئے کھڑی رہی †

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: ए.सी. टू टायर में डॉग चढ़ा दिए गए।

श्री मोहम्म सलीम : याईस में डॉग्स पहरा दें, इस में आप को आपत्ति है?

†شری محمد سلیم: یارڈس میں ڈاگس پہرہ دیں اسمیں آپکو آپتی ہے †

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया : कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मोहम्मद सलीम: सर, मेरा सवाल यह है कि आपने 1995-96 में जो चोरी हुई कोयले की और दीगर दूसरे सामान की वह बताया और जिसकी रिकवरी हुई उसकी भी लिस्ट दी, लेकिन आपके रेलवे डिपार्टमेंट को जो देना पड़ता है, क्लेम जो भरना पड़ता है चोरी के माल का, उसका आंकड़ा जोनवाइज कृपया दें कि कितना रुपया आपको क्लेम का भरना पड़ा? दूसरी बात मेरी यह है कि जितना सामान आर्जिनेट करता है बुकिंग का, उससे ज्यादा आपको क्लेम भरना पड़ता है। तो यह सामान सिर्फ यार्ड से ही चोरी नहीं होता बल्कि बुकिंग के वक्त भी वह इनफलेटेड दिखाया जाता है, जबकि उतना सामान उठाया ही नहीं जाता। वहां जो लोग बैठते हैं, सामान जो लेते हैं, मालबाबू जो होते हैं, वहां उस स्तर पर भी चोरी है। तो उसकी रोकथाम करने के लिए आप क्या प्रबंध करेंगे? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे अधिकारी हैं, जो एक ही जगह पर, माल विभाग में पांच साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं? आप उसका आंकड़ा निकालिए। क्या आप यह आंकड़ा निकालेंगे?

†شری محمد سلیم: سر- میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپنے ۹۶-۱۹۹۵ میں جو چوری ہوئی کوئلے کی اور دیگر دوسرے سامان کی وہ بتایا اور جسکی رکوری ہوئی اسکی بھی لسٹ دی- لیکن آپکے ریلوے ڈیپارٹمنٹ کو دینا پڑتا ہے- کلیم جو بھرنا پڑتا ہے چوری کے مال کا- اسکا آنکڑہ زون وائز کرپیا دیں کہ کتنا روپیہ آپکو کلیم کا بھرنا پڑا- دوسری بات میری یہ ہے کہ جتنا سامان آرجینیٹ کرتا ہے بکنگ کا- اس سے زیادہ آپکو کلیم بھرنا پڑتا ہے- تو یہ سامان صرف یارڈ سے ہی چوری نہیں ہوتا بلکہ بکنگ کے وقت بھی وہ انفلیٹیڈ دکھایا جاتا ہے- جبکہ اتنا سامان اٹھایا ہی نہیں جاتا- وہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں- سامان جو لیتے ہیں مال بابو جو ہوتے ہیں- وہاں اس استر پر بھی چوری ہے- تو اسکی روک تھام کرنے کیلئے آپ کیا پربندھ کرینگے- میں یہ بھی جاننا چاہونگا کہ کتنے ایسے ادھیکاری ہیں جو ایک ہی جگہ پر مال وبھاگ میں پانچ سال سے زیادہ سمے سے کام کر رہے ہیں- آپ اسکا آنکڑہ نکالئے- کیا آپ یہ آنکڑہ نکالیں گے †

†Transliteration in Arabic Script.

श्री राम विलास पासवान: ठीक है, यहां तक मानते हैं कि संभव है, आंकड़ा निकालकर के मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। यहां तक आपने स्क्वायड के संबंध में कहा, जो भी ऐसे हमारी नजर में स्टेशन, क्या कहते हैं, हैं या आएंगे, यहां बहुत ही अत्यावश्यक है वहां स्क्वायड को, स्ट्रेन्थ को हम बढ़ाने को काम भी करेंगे।

SHRI SANJAY DALMIA: Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister that the figure of Rs. 16 lakhs for coal is grossly under-estimated because, according to my information, the figure runs into several hundred crores of rupees. Also in almost all these cases the sufferer is the consumer because the Railways do not entertain any claim for shortages in the coal. When the coal is loaded the comment on the RR is that it contains so much of coal, which means that if there is a shortage or if there is a claim for any bad quality, it has to be borne by the consumer. Secondly, in the case of other items where the shortage is supposed to be to the tune of Rs. 4 crores, my informaton is again that it runs into several hundred crores of rupees and the same situation is there that the consumers do not get the claim and therefore, when you get the information from your Ministry about the amount of claim the Railway has paid, the figure will be very, very small. The brunt of the whole shortage is borne by the consumer. My suggestion is, something should be done about this. If the Railways is not able to control this, at least the consumer should not be forced to pay this amount. The Railways should bear this brunt and then only, probably they will be able to improve their efficiency and reduce the leakages.

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, यह भी एक निर्णय लिया है, निर्णय नहीं है, कोई पालिसी निर्णय नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है। जो इस तरह कहीं एक जगह पर पत्थर जम जाता है तो उसमें काई लगने की संभावना अधिक रहती है, उसी तरीके से एक कर्मचारी यहां एक पार्सल आफिस में हो या बुकिंग आफिस में हो, जब वह काफी दिनों तक रह जाता है तो वहां उनका एक जो काकस बन जाता है। हमने यह निर्णय लिया है कि पांच साल से अधिक जो, क्या कहते हैं, सेंसटिव जगह पर जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पांच साल से अधिक समय से हैं, उनको वहां नहीं रखा जाएगा, इमीडिएट उनका स्थानान्तरण दूसरी जगह पर कर दिया जाएगा। हम माननीय सदस्यों से भी आग्रह करेंगे कि पांच साल जिन कर्मचारियों के एक जगह पूरे हो गए हैं और यदि हमने उनका स्थानान्तरण किया हो तो उस संबंध में कृपया, क्या कहते है, हम पर ज्यादा कोई दबाव भी नहीं डालेंगे। इसको हम कड़ाई से लागू करेंगे, यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

SHRI SANJAY DALMIA: My suggestion was, that the Railway should consider that the loss which the consumer is suffering would be transferred to the Railways and the consumer should not be made to suffer on this account. Once the Railways know that this is the amount of claim they are going to bear themselves, then there will be improvement and efficiency. May I have a comment from the Minister on this account?

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, अभी इस संबंध में मैंने पक्ष और विपक्ष में जाने का नहीं किया है। मैं जांच करने के बाद, हो सकता है कि रेलवे बजट की चर्चा के समय, इस संबंध में कुछ बताऊं।

श्री शिवचरण सिंह: माननीय सभापति महोदय, 40 वर्ष पूर्व रेलवे की बुक होने वाली सम्पत्ति और रेलवे की प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बनाया गया था। आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह बहुत बड़ा ऑरगेनाइजेशन है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, आपके अंतर्गत। क्या आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का पूरा यूज़ करेंगे सारी रक्षा के लिए? आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, एक ऑरगेनाइज्ड फोर्स आपके पास मौजूद है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जब खड़ा किया गया था तब उसका यही ऑब्जेक्ट था कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जरिए रेलवे की सारी सम्पत्ति की रक्षा की जाएगी, जो रेलवे में चोरियां होती हैं, उनको रोका जाएगा। क्या आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पूरे वर्ग का मॉनिटरिंग करके, उसको आप स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे?

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, जैसा कि मैंने कहा कि अलग-अलग काम बंटे हुए हैं। आर.पी.एफ. का अलग काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वह स्टेट सब्जेक्ट है, उनका एक अलग काम है लेकिन यह सही है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऊपर चार्जिस लगते हैं लेकिन ....(व्यवधान)....

श्री शिवचरण सिंह: रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का यही काम था।

श्री राम विलास पासवान: लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काम बहुत बढ़ गया है। आज जहां-कहीं भी स्टेट

वगैरह की डिमांड आती है तो जैसे पैरा-मिलिट्री-फोर्सिस का इस्तेमाल किया जाता है उस तरीके से आर.पी.एफ. का भी इस्तेमाल किया जाता हैं और मैंने अभी घोषणा की है। आर.पी.एफ. को हम और मजबूत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और इसके साथ की साथ पहली दफा हम यह भी कर रहे हैं कि 750 महिलाओं की हम बहाली कर रहे हैं, रेलवे पुलिस में महिलाओं की बहाली भी हम करने जा रहे हैं। यदि पुरुष सक्षम नहीं है तो महिलाएं कम से कम सक्षम हो जाएं। ....(**व्यवधान**)....

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : आर.पी.एफ. का और कहां इस्तेमाल करते हैं? ....(**व्यवधान**)....

श्री शिवचरण सिंह: उस फोर्स को इसीलिए खड़ा किया गया था और फोर्स का यही काम था लेकिन बीच में ढिलाई आ गई, फोर्स का एक्सपैंशन नहीं हुआ और फोर्स का एक्सपैंशन करने के बाद उससे आप पूरी तरह प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान: अभी हम करीब 10,000 आर.पी.एफ. की भर्ती करने जा रहे हैं और जवानों की संख्या के कारण यदि उसमें कोई कमी आएगी तो हम संख्या को बढ़ाने में भी नहीं हिचकेंगे, लेकिन यदि संख्या बढ़ाने से ही समस्या का निदान हो जाए तो अच्छी बात हैं।

श्री शिवचरण सिंह : 40 साल हो गए उस फोर्स को और यदि उस फोर्स से काम नहीं......

सभापति: प्रश्न संख्या 145 ।

वन संरक्षण कानूनों की संगतता

***145. श्री ओ.पी. कोहली: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1996 के ''कुबेर टाइम्स'' में प्रकाशित उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि ''देश में वन संरक्षण संबंधी कानून अत्यधिक सैद्धान्तवादी एवं असंगत हैं जिनका सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार वन संरक्षण कानूनों को व्यावहारिक तथा वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन से संगत बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्यमान वन कानूनों में वन वासियों की सामाजिक आर्थिक पारिस्थितियों पर ध्यान दिया गया है और अस्तित्व निर्धारण, प्रकृति तथा वनवर्धन की दृष्टि से उपलब्ध वनोपज पर उनके अधिकारों की व्यवस्था है। तथापि, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप वनों की सुरक्षा और अनुरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर हाल में दिए गए बल से केन्द्रीय सरकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 सहित मौजूदा वन कानूनों में उचित परिवर्तन करने की कार्रवाई कर रही है।

श्री ओ.पी. कोहली: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के वन संरक्षण कानूनों के परिणामस्वरूप वन की जन-जातियों और वनों के स्थानीय समुदायों में अलगाव, एलिनेशन बढ़ता जा रहा है? क्या सरकार ने वन संरक्षण कानूनों के वन की जनजातियों और स्थानीय समुदायों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का कोई गहन अध्ययन किया है? यदि किया है तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और जनजातियों और स्थानीय समुदायों के अलगाव को कम करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: सर, वर्तमान वन कानूनों में भी वन-वासियों की परिस्थितियों पर ध्यान दिया गया है और माइनर फॉरेस्ट प्रोडयूस में इनकी भागीदारी की व्यवस्था है, फिर भी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वनों की सुरक्षा में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव अधिनियम 1972 में उचित परिवर्तन पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार स्थानीय लोगों को सम्मिलित करके वनों की सुरक्षा एवं रख-रखाव के लिए गाइडलाइन्स भारत सरकार ने 1 जून 1990 को सभी राज्यों एवं यूनियन टैरेटरीज़ को जारी किए हैं गाइडलाइन्स के आधार पर अभी तक 16 राज्यों के स्थानीय गांव वालों के सहयोग से वनों के प्रबंध के लिए नोटिफिकेशन जारी किया हैं। इसलिए लोगों को वन प्रबंधन की योजना से लेकर अंतिम वन उपज के उपयोग के विषय में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे प्रबंध को संयुक्त वन प्रबंध कहा जाता हैं संयुक्त वन प्रबंध के वन क्षेत्रों में सभी प्रकार की छोटी वन उपजों एवं लकड़ी आदि के घरेलू उपयोग के लिए स्थानीय लोगों को पूरा अधिकार है ऐसे वन क्षेत्रों की अंतिम उपज में से स्थानीय लोगों को 25 से लेकर 100 प्रतिशत तक हिस्सा दिया जाता है।